रिटर्निंग अधिकारी के लिए · पंच और सरपंच चुनाव · मतपेटी वाले चुनाव

नाम वापसी के बाद: प्ररूप-5 की सूची

उम्मीदवारों के नाम किस क्रम में लिखें, चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है, सूची की प्रति किसे-किसे देनी है, पूरी पंचायत निर्विरोध हो तो क्या करें, और इस बार मतपत्र पर नाम हाथ से कैसे लिखे जाएँगे।

आधार: आयोग का आदेश 9809, दिनांक 02.10.2026 · मार्गदर्शिका (मतपेटी) 2026, पृ. 36–37 · नियम 29

✓ एक नज़र में

1. **नाम वापसी पूरी** — बचे हुए उम्मीदवारों की अंतिम सूची बनेगी
2. **प्ररूप-5 में सूची** — पंच और सरपंच की अलग-अलग, वर्णमाला के क्रम से
3. **चिन्ह उसी क्रम में** — सूची के क्रम से आयोग के तय चिन्ह आवंटित
4. **प्रकाशन, प्रतियाँ** — उम्मीदवार, वार्ड और पंचायत कार्यालय
5. **मतपत्र पर नाम हाथ से** — मतदान दल, काले बॉल पेन से, ग्राम पंचायत पर ही

1 दो अलग सूचियाँ, दो अलग प्ररूप-5

पंच चुनाव

प्ररूप-5 · परिशिष्ट 8-B

- **हर वार्ड की अलग सूची**
- चिन्ह: आयोग के तय **40 प्रतीकों** में से, सूची के क्रम में

परिशिष्ट–8-B
प्ररूप – 5 (नमूना)
विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किये गये है और वापस नही लिये गये है
.....पंचायत के लिए निर्वाचन (पंच चुनाव)
निर्वाचन की तारीख.....

क्र.स.	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक
1		

मार्गदर्शिका पृ. 99 पर छपे नमूने का ऊपरी हिस्सा

सरपंच चुनाव

प्ररूप-5 · परिशिष्ट 8-A

- **पूरी पंचायत की एक सूची**
- चिन्ह: आयोग के तय **40 प्रतीकों** में से, सूची के क्रम में

परिशिष्ट–8-A
प्ररूप – 5 (नमूना)
विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किये गये है और वापस नही लिये गये है
.....पंचायत के लिए निर्वाचन (सरपंच चुनाव)
निर्वाचन की तारीख.....

क्र.स.	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक
1		

मार्गदर्शिका पृ. 94 पर छपे नमूने का ऊपरी हिस्सा

चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है

उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम से प्ररूप-5 में लिखे जाते हैं। → उसी क्रम में हर उम्मीदवार को आयोग का तय चुनाव चिन्ह आवंटित होता है। → मतपत्र पर चिन्ह छपे आते हैं, उम्मीदवार की जानकारी की जगह खाली; उम्मीदवार को मिले चिन्ह के सामने उसका नाम मतदान दल हाथ से लिखता है।

आयोग की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/4191, दिनांक 17.10.2025 में पंच और सरपंच के लिए अलग-अलग 40-40 प्रतीक तय हैं। मतपत्र पर नाम की जगह खाली रहेगी; नाम काले बॉल पेन से भरे जाएँगे। पूरा तरीका पेज 5 पर। [आदेश 9809, दिनांक 02.10.2026]

सूची के अंत में नोटा

हर वार्ड की प्ररूप-5 सूची में उम्मीदवारों के बाद, अंत में नोटा (इनमें से कोई नहीं) भी दिखाया जाता है। [नियम 29(1)]

राज्य निर्वाचन आयोग के तय चिन्ह कम पड़ें तो

रिटर्निंग अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग की बताई रीति से, ऐसे दूसरे चिन्ह दे सकते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग ने किसी राजनैतिक दल के लिए आरक्षित न किए हों, और इसकी सूचना उसी आयोग और ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को देंगे। [नियम 29(3)(i) का परंतुक]

2 नाम किस क्रम में लिखें

पंच की सूची हर वार्ड की अलग बनती है और सरपंच की सूची पूरी पंचायत की एक; दोनों में नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम से। मार्गदर्शिका ने इसके छह नियम दिए हैं, यहाँ उसी के उदाहरणों के साथ।

i क्रम मुख्य नाम से, पर लिखें पूरा नाम

क्रम तय करते समय उम्मीदवार का मुख्य नाम देखें, उपनाम नहीं। सूची में नाम पूरा, उपनाम के साथ लिखें।

मार्गदर्शिका का उदाहरण

जयनारायण व्यास **ज** ~~च~~

मुख्य नाम “जयनारायण”, उपनाम “व्यास”: क्रम “ज” से, पर सूची में और मतपत्र पर भी पूरा नाम “जयनारायण व्यास”, क्योंकि लोग उन्हें उपनाम से जानते हैं।

शिवहरि महावर **शि** · आनन्द सक्सेना **आ** · माहिर खान **मा**

[मार्गदर्शिका पृ. 36, बिन्दु 15(i)]

ii श्री, श्रीमती, सुश्री नहीं; उपनाम लिखें

नामों के पहले श्री, श्रीमती, सुश्री न लिखें। पर उपनाम लिखें, क्योंकि कई लोग उपनाम से ही जल्दी और ठीक से पहचाने जाते हैं।

न लिखें

~~श्री~~ ~~श्रीमती~~ ~~सुश्री~~

लिखें, जैसे

सुखाड़िया · नेहरू · शेखावत · चतुर्वेदी · माथुर · पालीवाल

[मार्गदर्शिका पृ. 36, बिन्दु 15(ii)]

iii तीन “स”: पहले श, फिर ष, फिर स

“श्र” को “श” के बराबर गिनें। इसलिए श्री नारायण नाम का कोई उम्मीदवार हो, तो वह शंकरलाल से भी पहले आएगा।

इसी क्रम में

श्री नारायण → शंकरलाल → षट्दर्शन → सरवर चन्द भंडारी

[मार्गदर्शिका पृ. 37, बिन्दु 15(iii)]

iv “ऋ” स्वर है; “हाजी” उपनाम है

ऋ स्वर है, इसलिए तीनों में ऋषिकुमार पहले। हाजी मोहम्मद पूरा लिखें, पर क्रम “म” से, क्योंकि हाजी उपनाम है।

इसी क्रम में

ऋषिकुमार → डालचन्द → त्रिलोकचन्द

अलग उदाहरण: क्रम “म” से

हाजी मोहम्मद **म**

अलग उदाहरण: इसी क्रम में

ग्यानचन्द → ज्ञानचन्द

[मार्गदर्शिका पृ. 37, बिन्दु 15(iv)]

v मानक वर्णमाला: परिशिष्ट-19

सुविधा के लिए मानक हिन्दी वर्णमाला मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-19 में दी गई है। पूरी तालिका अगले पन्ने पर है।

शुरुआत

अ · आ · इ · ई · उ · ऊ · ऋ · … · क · ख · …

[मार्गदर्शिका पृ. 37, बिन्दु 15(v); पृ. 116]

vi एक ही नाम के दो या ज़्यादा उम्मीदवार

उनके नाम के साथ पिता या पति का नाम जोड़कर, या किसी और रीति से जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझें, नामों को एक-दूसरे से अलग पहचान दें।

याद रखें

तरीका रिटर्निंग अधिकारी तय करते हैं; पिता/पति का नाम जोड़ना मार्गदर्शिका में दिया गया एक तरीका है।

[मार्गदर्शिका पृ. 37, बिन्दु 15(vi)]

3 मानक हिन्दी वर्णमाला (परिशिष्ट-19)

प्ररूप-5 में नामों का क्रम इसी वर्णमाला से तय होता है। अक्षर और उनका क्रम मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-19 (पृ. 116) से हैं; पढ़ने में आसानी के लिए मात्राएँ अपने स्वर के नीचे रखी हैं और समूहों के नाम जोड़े हैं।

स्वर नीचे मात्रा	अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ (ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ)
अनुस्वार, विसर्ग, चन्द्रबिन्दु	अं अनुस्वार · अः विसर्ग · अँ अनुनासिकता चिन्ह ँ (चन्द्रबिन्दु)
व्यंजन	क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ळ श ष स ह
संयुक्त व्यंजन	क्ष त्र ज्ञ श्र (द्य, द्व, द्ध)
हल् व्यंजन	् (इ)
गृहीत स्वन	ऑ (ॉ) · ख़ ज़ फ़ (अर्धचन्द्र, नुक्ता)

मार्गदर्शिका में यह तालिका राजस्थान सरकार के भाषा विभाग की “नागरी लिपि एवं वर्तनी के मानक स्वरूप के बारे में मार्गदर्शक पुस्तिका, 1992” से ली गई है; वर्णमाला का यह मानक रूप केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने तय किया था। [मार्गदर्शिका पृ. 116, परिशिष्ट-19]

स्वर पहले
तालिका में स्वर, व्यंजनों से पहले हैं। ऋ स्वर है, इसलिए ऋषिकुमार, डालचन्द से पहले आता है। [पृ. 37]

श → ष → स
तीनों “स” इसी क्रम में; “श्र” को “श” के बराबर गिनें। [पृ. 37]

ग्यानचन्द, फिर ज्ञानचन्द
मार्गदर्शिका में ग्यानचन्द पहले और ज्ञानचन्द बाद में आता है। [पृ. 37]

4 सूची का प्रकाशन: किसे कितनी प्रति

	प्ररूप-5 सूची की प्रति	प्रतियाँ
क	चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार को	1
ख	सरपंच की सूची, हर वार्ड में	1
ग	पंच की सूची, उसी (संबंधित) वार्ड में	1
घ	पंचायत कार्यालय पर	1

नियम क्या कहता है

उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रम में, हर नाम के साथ उसका चिन्ह; सूची वार्ड में किसी सहजदृश्य जगह पर चिपकाकर प्रकाशित की जाती है, और प्रकाशित सूची की **मूल प्रति** चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार को दी जाती है। [नियम 29(3)(ii); मार्गदर्शिका पृ. 37, बिन्दु 16(i)]

5 पूरी पंचायत निर्विरोध हो तो

सभी वार्ड पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित

1. ऊपर (खंड 4) वाला प्रकाशन **नहीं** होगा।
2. सूची की **दो प्रतियाँ** बनाएँ: एक पंचायत कार्यालय पर; दूसरी ऑफिस कॉपी, लिफ़ाफ़े में बंद।
3. परिणाम **नियम 29(2)** के अनुसार निर्विरोध घोषित करें।
4. **प्ररूप-7 (परिशिष्ट-10)** भरें और उस पर हस्ताक्षर करें।

[मार्गदर्शिका पृ. 37, बिन्दु 16(ii)]

बाकी हालात में

किसी वार्ड में एक ही उम्मीदवार: उसका नामांकन मंज़ूर हुआ हो, तो रिटर्निंग अधिकारी उसे निर्वाचित घोषित करेंगे। [नियम 29(2)]

किसी वार्ड या पंचायत में एक से ज़्यादा उम्मीदवार: मतदान तय जगह पर, तय तारीख और तय समय पर होगा। [मार्गदर्शिका पृ. 37]

6 इसके बाद: मतपत्र

मतपत्र: चिन्ह छपे, नाम हाथ से

आयोग के आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026 के अनुसार ज़िला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतपत्रों पर प्रतीक चिन्ह हों और उम्मीदवार की जानकारी की जगह खाली हो। प्ररूप-5 में सूची दिखाए जाने के तुरंत बाद, ग्राम पंचायत पर ही, मतदान दल हर उम्मीदवार को मिले चिन्ह के सामने उसका नाम काले बॉल पेन से लिखेंगे। [आदेश 9809]

मार्गदर्शिका (पृ. 37, बिन्दु 17) में सूची के आधार पर मतपत्र ज़िला स्तर पर छपवाने की बात है; आदेश 9809 के अनुसार पंच/सरपंच चुनाव के लिए पहले जारी आदेशों, परिपत्रों और मार्गदर्शिकाओं के प्रावधान, इस आदेश के प्रक्रिया वाले प्रावधानों की हद तक, अप्रभावी माने जाएँ।

मतपत्र की भाषा

मतपत्र आयोग के तय प्ररूप में होंगे और उनमें सारा विवरण देवनागरी लिपि में, हिन्दी में लिखा जाएगा। [नियम 29(4)(क)]

चिन्ह कितने: पंच के 40, सरपंच के 40

आयोग की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/4191, दिनांक 17.10.2025 में पंच के लिए 40 (सारणी-1) और सरपंच के लिए 40 (सारणी-2) मुक्त प्रतीक तय हैं। आदेश 9809 के अनुसार क्रम 1 से 10 तक के चिन्ह मतपत्र पर होंगे, और 11–20, 21–30, 31–40 तीन अतिरिक्त स्लिपों पर। मार्गदर्शिका (पृ. 5, 36) में प्ररूप-5 पर पंच के 10 और सरपंच के 20 चिन्ह छपे होने की बात है। [अधिसूचना 4191 · आदेश 9809]

स्रोत

- राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान: आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026 (पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव मतपेटी से करवाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश); अधिसूचना क्रमांक प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/4191, दिनांक 17.10.2025 (पंच-सरपंच के चुनाव चिन्ह)।
- "पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव: रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका (जहाँ मतदान मतपेटी से होगा) 2026", राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान: पृ. 4–5 (बिन्दु 14), पृ. 36–37 (बिन्दु 15, 16, 17), पृ. 94–98 (परिशिष्ट 8-A), पृ. 99–103 (परिशिष्ट 8-B), पृ. 116 (परिशिष्ट-19)। पृष्ठ संख्या मार्गदर्शिका में छपी संख्या है।
- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, नियम 29(1), 29(2), 29(3)(i)–(ii), 29(4)(क) (मार्गदर्शिका पृ. 63 पर छपा पाठ)।

इस बार नया · पंच और सरपंच के मतपत्र

मतपत्र पर नाम: हाथ से, काले बॉल पेन से

> “अभ्यर्थी को आवंटित किए गए प्रतीक चिन्ह के सामने रिक्त स्थान पर अभ्यर्थी का नाम काले बाल पैन से मतदान दलों के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा लिखा जाएगा।”

आयोग का आदेश क्रमांक एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/9809, दिनांक 02.10.2026 · सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) को

7 कौन, कब, कहाँ, किससे

कौन लिखेगा	किससे	कब	कहाँ
मतदान दलों के अधिकारी/कार्मिक	**काला बॉल पेन**	**प्ररूप-5 में सूची दिखाए जाने के तुरंत बाद**	**ग्राम पंचायत स्तर पर ही**

मतपत्रों पर प्रतीक चिन्ह छपे होंगे, उम्मीदवार की जानकारी की जगह खाली। मतदान दल मतपत्रों पर उम्मीदवारों के शुद्ध नाम लिखें, और मतदान इन्हीं मतपत्रों से ही हो जो मतदान दलों ने तैयार किए। [आदेश 9809, पृ. 1]

8 एक स्तम्भ, 10-10-10-10: मतपत्र और तीन स्लिप

मतपत्र · 7 अंकों की संख्या	चिन्ह
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

↓ नीचे चिपकाई

प्रथम अतिरिक्त स्लिप · नंबर नहीं	चिन्ह
11	
12	
13	नोटा (इनमें से कोई नहीं) का स्टीकर

✂ स्लिप के बाकी चिन्ह काटकर अलग

आदेश का उदाहरण: 12 उम्मीदवार। काली लकीर = हाथ से लिखा नाम।

1 – 10	11 – 20	21 – 30	31 – 40
मतपत्र	प्रथम अतिरिक्त स्लिप	द्वितीय अतिरिक्त स्लिप	तृतीय अतिरिक्त स्लिप

कौन-सी स्लिप कब: आदेश के शब्द

“यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या नोटा सहित 10 है तो इस हेतु मतपत्र एवं प्रथम अतिरिक्त मतपत्र स्लिप काम में आयेगी। यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या नोटा सहित 20 से अधिक हो तो द्वितीय अतिरिक्त मतपत्र स्लिप काम में आयेगी। इसी प्रकार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या नोटा सहित 30 से अधिक हो तो तृतीय अतिरिक्त मतपत्र स्लिप काम में आयेगी।”

नोटा का स्टीकर: आयोग छपवाकर देगा; आख़िरी उम्मीदवार के बाद अगले स्थान पर चिपकेगा। 6 उम्मीदवार हों तो मतपत्र के क्रम 7 पर; 12 हों तो प्रथम अतिरिक्त स्लिप के तीसरे स्थान पर।

तैयार करना: स्लिप के बचे चिन्ह कैंची/ब्लेड से काटकर अलग; ज़रूरत के हिसाब से स्लिपें मतपत्र के नीचे चिपकाकर, एक स्तम्भ में लम्बाई में मतपत्र तैयार।

रंग, नंबर: सरपंच का मतपत्र सफ़ेद, पंच का गुलाबी (पैकिंग पेपर भी उसी रंग का)। 7 अंकों की संख्या सिर्फ़ मतपत्र पर; प्रतिपर्ण (काउंटर फ़ाइल) नहीं; स्लिपों पर नंबर नहीं।

[आदेश 9809, पृ. 2–3]

9 मतदान दल को ज़िले से मिलेगा

मतपत्र · नोटा का स्टीकर · काला बॉल पेन · काला कार्बन · फेविस्टिक · कैंची/ब्लेड · स्टील का स्केल · स्टेपलर · यू-पिन · हार्डबोर्ड (मतपत्र तैयार करते समय नीचे लगाने को) · और ज़रूरी सामग्री

अतिरिक्त स्लिपें (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), ज़रूरत के हिसाब से (ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के अनुसार): नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, योग्य उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर, ज़िला निर्वाचन अधिकारी तुरंत उस ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। [आदेश 9809, पृ. 3]

छपाई और सुरक्षा: ज़िला निर्वाचन अधिकारी

पहले ही ज़िले की सभी ग्राम पंचायतों के कुल मतदाता और हर पंचायत को दिए जाने वाले मतपत्र आँककर तय करें कि सरपंच चुनाव के कितने मतपत्र छपें; उसी संख्या में, 100 के गुणक में छपाई। अतिरिक्त स्लिपें (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), तय मतपत्र संख्या की: सरपंच 20%, 5%, 1%; पंच 5%, 2%, 1%। छपाई निजी मुद्रणालयों से; ज़िला स्तर पर ही सुरक्षित। [आदेश 9809, पृ. 2–3]

आदेश का नोट (शब्दशः)

“पंच/सरपंच पद के निर्वाचन हेतु पूर्व जारी आदेशों, परिपत्रों, मार्गदर्शिकाओं में वर्णित प्रावधानों/दिशा-निर्देशों को उक्त आदेश में वर्णित प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों की हद तक अप्रभावी (Inoperative) माना जाए।”